न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः–श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 91/2012

वादीगण

1. लुम्बाराम पुत्र हंसाराम के का0मु0
1/1 भाणा पुत्र लुम्बाराम
1/1/1 मुगनाई पत्नि भाणाराम
1/1/2 रमेश पुत्र भाणाराम
1/1/3 जितेन्द्र पुत्र भाणाराम
1/2 नत्थराम पुत्र लुम्बाराम
1/3 बुधकी पुत्री लुम्बाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण हरियामाली तह0 सोजत जिला पाली।
2. ढगलाराम पुत्र भूराराम
3. खरताराम पुत्र भूराराम
4. कालूराम पुत्र घीसाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण हरियामाली तह0 सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कालिया पुत्र पन्नाराम
2. घेवरिया पुत्र पन्नाराम के का0मु0
2/1 तारादेवी पुत्री घेवरराम
2/2 रिंकु पुत्री घेवरराम
2/3 दिलीप कुमार पुत्र घेवरराम
2/4 राहुल पुत्र घेवरराम
3. पारसिया पुत्र पन्नाराम
4. शंकरिया पुत्र पन्नाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण हरियामाली तह0 सोजत जिला पाली राज0।
5. उप पंजीयक अधिकारी, सोजत
6. तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वंय उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक –22/8/24

अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा हरियामाली तह0 सोजत में स्थित ख.नं. 770, 771 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.45 है0 जो की पुराने ख.नं. 366 सात बीघा नौ बिस्वा से बने हैं। उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी कब्जासुदा व हक हकुक की आयी हुई हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि में मूलपुरूष हंसा पुत्र रामा हुये जिनके देहान्त के पश्चात् उनके विधिक वारिशान में भूराराम, घीसाराम व लुम्बाराम हुये। जिसमें से भूराराम व घीसाराम फौत हो चुके हैं। भूराराम के दो पुत्र ढगलाराम व खरताराम हुये तथा घीसाराम के एक पुत्र कालुराम हुये। वादी सं0 1 के पिता एवं वादी सं0 2 से 4 के दादा हंसा पुत्र रामा कौम भाम्बी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। उक्त कृषि भूमि जमाबंदी सम्वत् 2010–19 तथा 2021–24 में हंसा पुत्र रामा के नाम दर्ज हैं। हंसा के मरणोपरान्त वादीगण ही आज तक काबिज काश्त हैं। हंसा की मृत्यु के बाद में वादीगण उत्तराधिकारी होने से वादस्थ कृषि भूमि में वादी सं0 1 का 1/, वादी सं0 2 का 1/6, वादी सं0 3 का 1/6, वादी सं0 4 का 1/3 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत हक निहित हो चुका हैं। प्रतिवादीगण के पिता पन्ना पुत्र दुर्गाराम द्वारा अपने नाम से सम्वत् 2025–28 की जमाबंदी में कूटरचना व षड़यंत्र कर अनरजिस्टर्ड बेचाननामा बताकर

से अपने नाम गलत दर्ज नामा0 स0 131 भरवा कर चार बीघा भूमि वादस्थ कृषि भूमि में करवा दी। इसी समय सैटलमेंट विभाग द्वारा सैटलमेंट किया गया जिसमें वादग्रस्त भूमि को तोडकर नये खसरे बना दिये गये। इसी वक्त प्रतिवादीगण के पिता का देहान्त हो गया एवं फौतेदगी नामा0 स0 36 दिनांक 08.05.1981 दर्ज कर वादीगण का नाम बकाया कृषि भूमि में से भी हटा दिया गया। जिसका सैटलमेंट अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादीगण उक्त विधि विरूद्ध इन्द्राज के आधार पर वादस्थ कृषि भूमि से वादीगण को बेदखल करने व बेचान करने पर आमादा है। इस प्रकार वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वादस्थ कृषि भूमि ख.नं. 770 व 771 कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.45 है0 की कृषि भूमि में वादीगण को खातेदार, काश्तकार घोषित किये जाने व वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अदाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति सं0 1 से 4 की ओर से दिनांक 03.10.2012 को जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 5 व 6 द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब दावा पेश नहीं किये जाने से दिनांक 09.10.2012 को जवाब दावा बंद किया गयां।

प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने जबाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वादस्थ भूमि ग्राम हरियामाली में आई हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नही है। वादीगण द्वारा घीसांराम की पुत्री बलुडी को वाद में आवश्यक पक्षकान नही बनाया गया है जिससे पक्षकारों के असंयोजन के कारण वाद खारिज योग्य है। वर्तमान खसरा नम्बर 770, 771 के गत खसरा नम्बर 366 है तथा गत खसरा नम्बर 366 की कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार प्रतिवादीगण के पिता पन्ना पुत्र दुरगा ने सम्वत 2025 में 51/- रूपये में हंसा वल्द रामा से खरीद किये, तब म्युटेशन संख्या 131 बेचान के आधार पर दर्ज कर स्वीकृत किया गया तथा संबंधितं राजस्व रेकर्ड में पन्ना पुत्र दुरगा का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। तब से निरन्तर आज दिन तक बिना किसी बाधा व रूकावट के शांति पूर्वक तरीके से उक्त खरीदसुदा कृषि भूमि पर पन्ना के जीवनकाल में पन्ना पुर दुरगा का एवं उनके मरणोपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 01 के जीवनकाल लगायत 4 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। पन्नालाल द्वारा किसी प्रकार की मिली भगत नही की गई है। वादीगण उक्त भूमि को पुनः खरिदना चाहते है इस प्रस्ताव को प्रतिवादीगण ने मना कर दिया जिससे द्वेषभाव में आकर उक्त झुठा वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया है। सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने कोई गलती नही की है। इस प्रकार जबाब दावा पेश कर वादी का वाद खारिज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

वादी के वाद एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादस्थ भूमि मौजा हरियामाली तहसील सोजत के खसरा नम्बर 770, 771 कुल रकबा 1.4500 हैक्टेयर की भूमि वादीगण के पूर्वज हंसा पुत्र रामा की

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

होने से वादी उक्त भूमि अपने नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

2 आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

3 आया दिनांक 10.06.2012 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने कारण विनायदावा उत्पन्न हुआ है।

जिम्मे वादीगण

4 आया पक्षकाराने के असंयोजन के कारण उक्त वाद खारिज योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01 से 04

5. आया वादरथ भूमि के पुराने खसरा नम्बर 366 को प्रतिवादीगण के पिता द्वारा वादीगण के पूर्वज हंसा पुत्र रामा से खरीद किया है, जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण के पिता पन्ना पुत्र दुरगा के नाम दर्ज किया गया है। इस आधार पर वादीगण खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी नही है।

प्रतिवादी संख्या 01 से 04

6. आया प्रतिवादी संख्या 05 से 06 को 80 सीपीसी का नोटिस दिये बगैर उक्त वाद खारिज योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 01 से 04

07 अनुतोष

प्रतिवादी संख्या 01 से 04

अधिवक्ता वादीगण ने शहादत वादीगण के मुख्य परीक्षण हेतु तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किए मुख्य परीक्षण पर वादी स्वयं तथा खरताराम, ढगलाराम, ढगलाराम, व हरिराम के बयान पीडब्ल्यु–1 से पीडब्ल्यु–6 कलमबद्ध करवाये गए। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबन्दी सम्वत 2010–19 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श–01 है, जमाबन्दी सम्वत 2021–24 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–2 है, जमाबन्दी सम्वत 2025–28 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–3 है, नामा0 संख्या 131 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–4 है, नामा0 संख्या 134 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–5 है, पर्चा खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–6 है, पर्चा लगान की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–7 है, जमाबन्दी सम्वत 2029–32 की प्रमाणितप्रति प्रदर्श 8 है, खसरा मिलान की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–9 है, नामा0 संख्या 36 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–10 है, जमाबन्दी सम्वत 2043–46 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श–11 है, जमाबन्दी सम्वत 2047–50 की प्रमाणितप्रति पेश की जो प्रदर्श–12 है, जमाबन्दी सम्वत 2051 से 53 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श–13 है, जमाबन्दी सम्वत 2059 से 62 की प्रमाणित

प्रति पेश की जो प्रदर्श 14 है, जमाबन्दी सम्वत 2055 58 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 15 है, जमाबन्दी वर्ष 2005 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 16 है जो प्रदर्शित करवाये गये जिरह प्रतिवादी शुन्य रही ,

अधिवक्ता प्रतिवादी बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा हरियामाली तह0 सोजत में स्थित ख.नं. 770, 771 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.45 है0 की भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादीगण की पुश्तैनी कब्जासुदा व हक हकुक की आयी हुई हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि में मूलपुरूष हंसा पुत्र रामा हुये जिनके देहान्त के पश्चात् उनके विधिक वारिशान में भूराराम, धीसाराम व लुम्बाराम हुये। जिसमें से भूराराम व धीसाराम फौत हो चुके हैं। भूरांराम के दो पुत्र ढगलाराम व खरताराम हुये तथा धीसाराम के एक पुत्र कालुराम हुये। वादी सं0 1 के पिता एवं वादी सं0 2 से 4 के दादा हंसा पुत्र रामा कौम भाम्बी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। उक्त कृषि भूमि जमाबंदी सम्वत् 2010–19 तथा 2021–24 में हंसा पुत्र रामा के नाम दर्ज हैं। हंसा के मरणोपरान्त वादीगण ही आज तक काबिज काश्त हैं। हंसा की मृत्यु के बाद में वादीगण उत्तराधिकारी होने से वादस्थ कृषि भूमि में वादी सं0 1 का 1/, वादी सं0 2 का 1/6, वादी सं0 3 का 1/6, वादी सं0 4 का 1/3 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत हक निहित हो चुका हैं। प्रतिवादीगण के पिता पन्ना पुत्र दुर्गाराम द्वारा अपने नाम से सम्वत् 2025–28 की जमाबंदी में कूटरचना व षड़यंत्र कर अनरजिस्टर्ड बेचाननामा बताकर नामा0 सं0 131 भरवा कर चार बीघा भूमि वादस्थ कृषि भूमि में से अपने नाम गलत दर्ज करवा दी। इसी समय सैटलमेंट विभाग द्वारा सैटलमेंट किया गया जिसमें वादग्रस्त भूमि को तोड़कर नये खसरे बना दिये गये। इसी वक्त प्रतिवादीगण के पिता का देहान्त हो गया एवं फौतेदगी नामा0 सं0 36 दिनांक 08.05.1981 दर्ज कर वादीगण का नाम बकाया कृषि भूमि में से भी हटा दिया गया। जिसका सैटलमेंट अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं था। जिससे वादी का वाद स्वीकार स्वीकार किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है। तहसीलदार सोजत द्वारा राज्यहीत नही होने से विधि अनुसार आदेश किये जाने में कोई आपती नही होना जाहिर किया।

वस्तुतः उक्त वाद प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का प्रस्तुत वाद पत्र के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत जबाव दावा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात, गवाहान के मुख्य परीक्षण, स्वतंत्र गवाहो के बयानात के आधार पर बाद विवेचन/विश्लेषण कर तनकीवार विनिश्चय निम्नांकित रूप से किया जाता है–

01. आया वादस्थ भूमि मौजा हरियामाली तहसील सोजत के खसरा नम्बर 770, 771 कुल रकबा 1.4500 हैक्टेयर की भूमि वादीगण के पूर्वज हंसा पुत्र रामा की होने से वादी उक्त भूमि अपने नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी, है।

जिम्मे वादीगण

[illegible] वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में [illegible] साक्ष्य तथा जमाबन्दी [illegible] वादीगण [illegible] वर्ष 2010 [illegible] है इसी प्रकार जमाबन्दी [illegible] है इसके पश्चात नामा० सम्वत [illegible] 2021 24 [illegible] दूसरा को खातेदार [illegible] नामा० सम्वत [illegible] प्रदर्श 4 से [illegible] तथा भूमि [illegible] जो कि प्रदर्श 5 से स्पष्ट होता है। [illegible] सम्वत 2025 28 की [illegible] बीघा भूमि [illegible] प्रतिवादी की इस कथन की साक्ष्य [illegible] नाम [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में कोई [illegible] द्वारा [illegible] किया गया जिसमें [illegible] प्रदर्श 09 [illegible] मिलान से बखूबी [illegible] खसरे [illegible] हो गया एवं फोटोप्रती नामा० स० 36 [illegible] प्रदर्श 10 है तथा इसके पश्चात बनी जमाबन्दी [illegible] 08.05.1981 [illegible] की भूमि में वादीगण का नाम [illegible] प्रदर्श 11 2043 से 2046 में खसरा नम्बर 770 व 771 की भूमि में वादीगण का नाम [illegible] उत्तराधिकारी उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में [illegible] वादीगण का नाम बतौर [illegible] प्रतिवादी तय की जाती है। ~~दर्ज हो चाहिए था जिससे तनकी संख्या 01 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।~~

02 आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 01 बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की गई है। वादीगण खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी वादीगण के हक हिस्से में दखल अन्दाजी नहीं करे इस स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी जारी किया जाना न्यायोचित होने से तनकी संख्या 02 बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

03 आया दिनाक 10.06.2012 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने कारण बिनायदावा उत्पन्न हुआ है।

जिम्मे वादीगण

वादीगण द्वारा अपने स्वतंत्र गवाहान व बयातान तथा अपने वाद के समर्थन हेतु पेश. शपथ पत्रों के आधार पर बिनाय दावा उत्पन्न होने की पुष्टि होती है। लिहाजा तनकी संख्या 03 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

04 आया पक्षकारान के असंयोजन के कारण उक्त वाद खारिज योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 01 से 04

प्रतिवादीगण शहादत प्रतिवादी पेश करने में विफल रहे जिससे तनकी संख्या 04 विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादी तय की जाती है।

05 आया वादग्रस्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 366 को प्रतिवादीगण के पिता द्वारा वादीगण के पूर्वज हंसा पुत्र रामा से खरीद किया है, जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण के पिता पन्ना पुत्र हंसा के नाम दर्ज किया गया है। इस आधार पर वादीगण खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 01 से 04

प्रतिवादीगण शहादत प्रतिवादी पेश करने में विफल रहे जिससे तनकी संख्या 05 विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादी तय की जाती है।

06 आया प्रतिवादी संख्या 05 से 06 को 80 सीपीसी का नोटिस दिये बगैर उक्त वाद खारिज योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 01 से 04

प्रतिवादीगण शहादत प्रतिवादी पेश करने में विफल रहे जिससे तनकी संख्या 05 विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादी तय की जाती है।

07 अनुतोष

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद पत्र जबाब दावा, फहरिस्त मय दस्तावेजात, प्रस्तुत तरदीक शुदा शपथ पत्र व उनपर कलमबद्ध किये गये बयानात का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुत वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, प्रस्तुत गवाहान से अपने वाद में वर्णित तथ्यो को साबित करने मे सफल रहा है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण की और से किसी प्रकार की शहादत पेश नही की गई। निष्कर्षत : 'सम्वत 2010–19 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श–01 है जिसमें वादीगण दादा वादस्थ भूमि के गत खसरा नम्बर 366 के खातेदार काश्तकार दर्ज सुदा है इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2021–24 प्रदर्श–2, है जिसमें भी हंसा खातेदार दर्ज है। इसके पश्चात नामा0 संख्या 131 दर्ज किया जाकर हंसा वल्द रामा के स्थान पर पना पुत्र दुरगा को खातेदार दर्ज किया गया जो कि प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–4 से स्पष्ट होता है एवं एक और नामा0 संख्या 134 दर्ज किया गया जिसमें हंसा फौत होने से घीसा पुत्र हंसा, लूम्बा पुत्र हंसा तथा भूरा फोत होने से ढगलिया व खरतिया का नाम इन्द्राज किया गया जो कि प्रदर्श–5 से स्पष्ट होता है। तत् पश्चात प्रतिवादीगण के पिता पन्ना पुत्र दुर्गाराम द्वारा अपने नाम से सम्वत् 2025–28 की जमाबंदी में अनरजिस्टर्ड बेचाननामा बताकर नामा0 सं0 131 भरवा कर चार बीघा भूमि वादस्थ कृषि भूमि में से अपने नाम दर्ज गलत रूप से करवाया गया, प्रतिवादी को इस कथन को साक्ष्य सबूतो व गवाहो से गलत साबित करना था किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गयें। सैटलमेंट विभाग द्वारा सैटलमेंट किया गया जिसमें वादग्रस्त भूमि को तोड़कर नये खसरे बना दिये गये जो प्रदर्श –09 खसरा मिलान से बखुबी साबित है। इसी वक्त प्रतिवादीगण के पिता का देहान्त हो गया एवं फौतेदगी नामा0 सं0 36 दिनांक 08.05.1981 दर्ज किया गया जो प्रदर्श–10 है तथा इसके पश्चात बनी जमाबन्दी प्रदर्श–11 2043 से 2046 में खसरा नम्बर 770 व 771 की भूमि में वादीगण का नाम हटा दिया गया वादीगण का नाम किस आधार पर हटाया गया इसका कोई उल्लेख राजस्व रेकर्ड में नही पाया गया जिससे यह स्पष्ट है कि वादी के हक अधिकार विधि विरूद्ध रूप से विलोपित कर दिये गयें तनकी संख्या 01 से 03 बहक वादी तय हुई है तथा 04 से 06 विरूद्ध प्रतिवादी तय हुई है। जिससे वादी का वाद स्वीकार किया

जाना तथा वादरथ भूमि में वादी को पुनः खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित समझते है।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचना अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा हरियामाली तह0 सोजत में स्थित ख.नं. 770, 771 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.45 है0 की कृषि भूमि में दर्ज खातेदारो के स्थान पर वादीगण को बतौर खातेदार दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है। डिक्री पर्चा मूर्तीब हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 22/8/14 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली